

:: कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान- बीकानेर ::

:: आदेश ::

निर्देशानुसार खवाजा मॉडल स्कूल, अजमेर को राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था मान्यता एवं अनुदान नियम-1993 एवं तत्पश्चात् किये गये संशोधन के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये सत्र 2001-2002 में उच्च प्राथमिक स्तर की अस्थाई मान्यता अंग्रेजी माध्यम से तीन सत्र हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं शपथ पत्र के आधार पर परिशिष्ट-1A एवं संस्था में कार्यरत समस्त अध्यापक प्रशिक्षित होने की शर्त पर दी जाती है।

मान्यता नियमों की पालना न करने अथवा तक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय विपरीत स्थिति पाये जाने पर संस्था की मान्यता रद्द की जा सकती है। तीन सत्र की अस्थाई मान्यता समाप्त होने पर अस्थाई मान्यता नहीं लेने की स्थिति में अस्थाई मान्यता स्वतः ही समाप्त समझी जावे। यदि संस्था पूर्व में हिन्दी माध्यम से मान्यता प्राप्त है तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, पाकि संस्था की हिन्दी माध्यम से मान्यता निरस्त कर आदेश की प्रति निदेशालय को प्रेषित करें।

अपर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

क्रमांक-शिविरा/प्रार/प्राथ/सी/3703/2001/60

दिनांक 19/9/2001

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :-

- 1- उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर।
- 2- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, अजमेर।
- 3- तयिव, खवाजा मॉडल स्कूल, सिविल लाईन्स, अजमेर।
- 4- रक्षित पत्रावली।



अपर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।